निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
53/2021	26.07.2021	04-08-2025

गंगाराम पुत्र जगन, मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र हरनारायण, मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
2. मूडया पुत्र हरनारायण, मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
3. रामनिवास पुत्र हरनारायण, मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी
4. रामलखन पुत्र हरनारायण, मीना निवासी टोकसी तह0 गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री कुश मंगल, एड. प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम टोकसी मे स्थित भूमि ख0न0 23 रकबा 0.59 है0, ख0न0 24 रकबा 0.31 है0, ख0न0 25 रकबा 0.23 है0, ख0न0 26 रकबा 0.58 है0, ख0न0 27 रकबा 0.03 है0, ख0न0 28 रकबा 0.20 है0, ख0न0 29 रकबा 0.04 है0, ख0न0 30 रकबा 0.06 है0, ख0न0 31 रकबा 0.02 है0, ख0न0 34 रकबा 0.23 है0, ख0न0 35 रकबा 0.19 है0, ख0न0 36 रकबा 0.19 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 2.67 है0 स्थित है। इस भूमि मे प्रार्थी का हिस्सा 1/6 तथा अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/8, अप्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/8, अप्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा 1/8, अप्रार्थी संख्या 4 का हिस्सा 1/8, दर्ज है। राजस्व रिकार्ड मे उक्त भूमि पक्षकारान की शामलाती खातेदारी मे दर्ज है। पक्षकारान अपने अपने हिस्स के काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि मे प्रार्थी का हिस्सा 1/6 है। मौके पर पक्षकारान ने सुविधा की दृष्टि से आपस मे बांट रखी है तथा प्रार्थी अपने हिस्से 1/6 पर काबिज है। पक्षकारान के मध्य विधिवत मीट्स एण्ड बाउन्ड्स से विभाजन नही हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 संख्या बल में अ[illegible] झगडालू व लठैत लोग है उनके मन मे बेईमानी आ गई है तथा दिनांक [illegible].07.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 अनाधिकृत रूप से प्रार्थी के हिस्से व कब्जे की भूमि पर आ गये तथा प्रार्थी से गाली गलौच करने लगे तथा धमक[illegible] दी कि अब तुम्हारी [illegible] पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:11:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सिटी (स0मा0)

हम काश्त करेगे तथा भूमि को अन्य लोगो को विक्रय कर देगें। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 23 रकबा 0.59 है0, ख0न0 24 रकबा 0.31 है0, ख0न0 25 रकबा 0.23 है0, ख0न0 26 रकबा 0.58 है0, ख0न0 27 रकबा 0.03 है0, ख0न0 28 रकबा 0.20 है0, ख0न0 29 रकबा 0.04 है0, ख0न0 30 रकबा 0.06 है0, ख0न0 31 रकबा 0.02 है0, ख0न0 34 रकबा 0.23 है0, ख0न0 35 रकबा 0.19 है0, ख0न0 36 रकबा 0.19 है0, ग्राम टोकसी तहसील गंगापुर सिटी में प्रार्थी को उसके 1/6 हिस्से के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि को अन्य किसी को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित नहीं करें तथा अन्तरण का पंजीयन नहीं करावें तथा अप्रार्थी संख्या 5 ताफैसला दावा राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए एवं इनकी ओर से कोई जबाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 5 व 6 ने आपस मे साज कर लिया है और ये जबाबदारान को भूमि से बेदखल करने पर आमदा है। सही बात यह है कि प्रार्थी गंगाराम ने सविक खसरा नम्बर 17 जिसके हाल खसरा नम्बर 24, 25, 34, 35 व 36 रकबा 1.15 है0 जिसका हिस्सेनुसार प्रार्थी खातेदार था जिसका 1/2 हिस्से का खातेदार जगन मीना है, जो अप्रार्थी गंगाराम को विक्रय कर दिनांक 24.07.1991 को पं0 प्रभुलाल ब्राहम्ण की बकलम व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने अपने हस्ताक्षर कर दिये। इस विक्रय पत्र में यह भी अंकित कर दिया गया है कि जब भी क्रेता कहेगा मैं उक्त जमीन की रजिस्ट्री क्रेता के पक्ष में क्रेता के खर्चे पर करा दूगां तथा इस विक्रय पत्र में यह भी अंकित किया है कि (दावे में प्रतिवादी संख्या 5 व 6) का उक्त भूमि में कोई भी हिस्सा नहीं है। यह विक्रय पत्र करीब पुराना है एवं क्रय करने की दिनांक से आज तक अप्रार्थी ने काश्त में है। दिनांक 20.07.2021 को जो वादकारण प्रार्थी ने दर्शाय वह गलत है। प्रार्थी ने तीस वर्ष से उक्त भूमि पर कभी कोई काश्त नहीं कि है और ना ही उसका कोई सम्बन्ध व वास्ता रहा है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:11:33 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2071–74 खाता संख्या 80 ग्राम टोकसी के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0न0 23 लगायत 31, 34, 35, 36 कुल रकबा 2.67 है0, प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। इसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के 1/6 हिस्से तक के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु इस न्यायालय से दिनांक 26.7.2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। इस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय होने तक कन्फर्म किया जाना हम उचित समझते हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं भूमि ख0न0 23 रकबा 0.59 है0, ख0न0 24 रकबा 0.31 है0, ख0न0 25 रकबा 0.23 है0, ख0न0 26 रकबा 0.58 है0, ख0न0 27 रकबा 0.03 है0, ख0न0 28 रकबा 0.20 है0, ख0न0 29 रकबा 0.04 है0, ख0न0 30 रकबा 0.06 है0, ख0न0 31 रकबा 0.02 है0, ख0न0 34 रकबा 0.23 है0, ख0न0 35 रकबा 0.19 है0, ख0न0 36 रकबा 0.19 है0 ग्राम टोकसी तहसील गंगापुर सिटी के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.7.2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक पुष्ट (Confirm) की जाती है।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 04-08-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:11:33 IST
Reason: SelfAttested